



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

दिनांक-

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सीवान
जिला- सीवान

नगर परिषद, सीवान के वर्ष 2014-15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 183/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -

(विश्वम्भर कुमार)

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना



सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14581/162

दिनांक- 31.08.16


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीवान

(विश्वम्भर कुमार)

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

S.S (JPN)



उपरि सूचित
5.5.7
1219116

संलग्नक-2
सिमा
9/9/16

1219116
439
20/9/16

कार्यालय महालेखाकार (ले०प०) बिहार, पटना

नगर परिषद् सीवान (वर्ष 2014-15)

नि०प्र०सं०-183 / 16-17

(अवधि-2014-15)

भाग-I

प्रस्तावना

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नाम | - | नगर परिषद्, सीवान |
| 2. | लेखा की अवधि | - | वर्ष 2014-15 |
| 3. | लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र | - | अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट- I में एवं अप्रस्तुत अभिलेख की सूची परिशिष्ट- II पर दी गयी है। |
| 4. | लेखा परीक्षा की तिथि | - | 13.02.2016 से 27.02.2016 |
| 5. | प्रशासन | - | |
| | (i) कार्यपालक पदाधिकारी का नाम | - | 1. श्री राज किशोर लाल, 01.04.2014 से अब तक |
| | (ii) नगर सभापति का नाम | - | 1. श्री बब्लू प्रसाद, 01.04.2014 से अब तक |
| | (iii) नगर उप-सभापति का नाम | - | 1. श्री कर्णजीत सिंह, 01.04.2014 से अब तक |
| 6. | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | - | श्री विश्वपति सिंह, स.अ.प.ले. श्री अमरनाथ कुमार, स.अ.प.ले. श्री शशि रंजन, व.ले.प. श्री शिवराम, ले.प. |
| 7. | पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम | - | श्री राजीव कुमार, व.ले.प.अ. |
| 8. | पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन | - | अप्रस्तुत |
| 9. | कार्यपालक से वार्तालाप | - | दिनांक 27.02.2016 |
| 10. | लेखा परीक्षा का परिणाम | - | |
| | लेखा परीक्षा के दौरान जमा की गयी राशि | - | ₹2332979 |
| | वसूली हेतु सुझाई गयी राशि | - | ₹7683396 |
| | आपत्ति के अधीन गयी राशि (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VII पर) | - | ₹123062805 |

कंडिका संख्या- 11 सरकारी अनुदान

नगर परिषद, सीवान से वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा में अनुदान पंजी की मांग की गयी, जिसे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष के पूर्व का अवशेष अनुदान तथा वर्ष 2014-15 तक प्राप्त अनुदान एवं व्यय राशि की वास्तविकता ज्ञात नहीं की जा सकी। प्रस्तुत लेखापाल रोकड़ पंजी के अवलोकन वर्ष 2014-15 में कुल राशि रु 11,15,91,797 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न है।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि अनुदान पंजी संधारित कर ली जाएगी। इसका अनुपालन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका संख्या-12 बजट प्राक्कलन

सरकार के निदेशानुसार बजट प्राक्कलन और वास्तविक में 10% से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए। परंतु प्राप्ति और व्यय में विचलन 65 % व 44% था।

| प्राप्ति | | | व्यय | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| बजट प्राक्कलन | वास्तविक राशि | विचलन (%में) | बजट प्राक्कलन | वास्तविक राशि | विचलन (%में) |
| 34,70,42,200 | 12,18,16,338 | 65% | 34,19,46,400 | 19,29,85,772 | 44% |

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि आगे नियमानुकूल बजट प्राक्कलन बनाया जाएगा। भविष्य में बजट बनाते समय विचलन कम-से-कम रखा जाय एवं बजट प्राक्कलन को नियमानुकूल बनाया जाए।

कंडिका संख्या-13 आय-व्यय (P/Lखाता)

(लेखा पाल रोकड़ बही एवं नगर निधि रोकड़ बही)

कार्यालय नगर परिषद, सीवान वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत लेखापाल रोकड़बही एवं नगर निधि रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्ष 2014-15 में आय-व्यय निम्न प्रकार से है

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| दिनांक-01.04.14 को प्रारंभिक शेष :- | 15,11,76,774 |
| प्राप्ति :- | 9,45,53,213 |
| स्वयं के श्रोत से प्राप्ति :- | 1,62,57,687 |
| कुल प्राप्ति :- | 26,19,87,674 |

| | | |
|--------|----|--------------|
| व्यय | :- | 16,20,74,639 |
| अंतशेष | :- | 9,99,13,035 |

लेखापरीक्षा टिप्पणी :-

- I. रोकड बही के अवलोकन में पाया गया कि रोकड बही प्रारंभ शेष, प्राप्ति, कुल प्राप्ति एवं व्यय के पश्चात अवशेष राशि की गणना मासिक/वार्षिक नहीं दर्ज की गयी थी।
कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि माहवार कुल प्राप्ति, व्यय एवम् अंतशेष की गणना कर रोकड बही में दर्ज की जायेगी।
- II. उपर्युक्त अंतशेष राशि की सत्यता हेतु कोषागार पासबुक/बैंक पासबुक की मांग की जाती रही परन्तु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि ट्रेजरी पासबुक प्राप्त कर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- III. रोकड पंजी में व्यय शीर्षवार दर्ज नहीं किया गया था एवं वार्षिक लेखा का भी संधारण नहीं किया गया था फलस्वरूप उपर्युक्त आय-व्यय शीर्षवार ज्ञात नहीं हो सका।
कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि शीर्षवार रोकड बही का संधारण किया जाएगा।
- IV. अतः रोकड पंजी का संधारण उचित रूप से नहीं किए जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
- V. उपर्युक्त प्रारंभिक शेष (01.04.2014) अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अंतशेष के रूप में गणना की गयी थी, परन्तु रोकड बही में दिनांक/माह अप्रैल 2014 में मो0 16,50,79,589 लिया गया है, अन्तर राशि का समाधान विवरणी दर्ज नहीं किया गया था।
कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि अंतर राशि की गणना के पश्चात समाधान विवरणी प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
अतः कोषागार पंजी, रोकड बही का उचित संधारण एवम् समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निम्न दो रोकड़ बही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसका आय-व्यय इस प्रकार है-

(I) स्व वित्त पोषित योजना

प्रस्तुत रोकड़ पंजी के अवलोकन में पाया गया कि रोकड़ पंजी दिनांक 18.12.2014 से प्रारंभ की गयी है। रोकड़ पंजी में प्रारंभिक शेष अथवा प्राप्ति दर्ज नहीं की गयी है, सिर्फ व्यय दर्ज की गयी है। पुछे जाने पर एच०डी०एफ०सी० बैंक, छपरा सीवान रोड, सीवान खाता संख्या 50100062476529 जो 04.09.2014 को खाता खोला गया था प्रस्तुत की गयी के अनुसार रोकड़ वही का आय व्यय निम्न प्रकार से है:-

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|
| प्रारंभ शेष | - | शून्य |
| प्राप्ति | - | 6172633 (उपर्युक्त खाता के अनुसार) |
| ब्याज | - | 86790 |
| कुल | - | 6259423 |
| व्यय | - | 5112337 |
| अवशेष राशि (दिनांक 31.03.2015) | - | 1147086 |

उपर्युक्त खाता संख्या का अंतशेष (दिनांक 31.03.15) रू. 1147086

रोकड़ वही का शेष (दिनांक 31.03.15 रू. 1147086 अन्तर राशि शून्य।

लेखा परीक्षा टिप्पणी-

रोकड़ बही में प्राप्ति दर्ज नहीं की गयी थी।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि रोकड़ बही संधारित कर दिया जाएगा।

इसका अनुपालन किया जाय।

(II) विविध

कार्यालय नगर परिषद, सीवान के वर्ष 2014-15 में संधारित निम्नलिखित रोकड़ बहियों में प्रविष्टि के आधार पर आय-व्यय निम्न प्रकार से है :-

| क्र० सं० | मद का नाम | प्रारम्भिक शेष | वर्ष की प्राप्ति | कुल प्राप्ति | व्यय राशि | अंतशेष |
|----------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | विविध(BRGF) | 1,75,49,650 | 0 | 1,75,49,650 | 44,66,362 | 1,30,83,288 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2 | 13वीं वित्त | 1,27,94,025 | 1,35,83,374 | 2,63,77,399 | 2,11,02,434 | 52,74,965 |
| 3 | NULM | 0 | 71,20,328 | 71,20,328 | 2,30,000 | 68,90,328 |

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. रोकड़ पंजी में प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति, व्यय की गणना मासिक/वार्षिक नहीं की गई है।
2. रोकड़ पंजी में दर्ज आय-व्यय एवं अंतशेष की सत्यता हेतु बैंक पासबुक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जवाब में कहा गया कि संधारित कर दिया जाएगा।

जवाब के साथ 13 वीं वित्त से सम्बंधित प्रस्तुत बैंक शेष विवरणी के अनुसारआई.डी.बी.आई. बैंक के खाता संख्या 1076104000035149 का दिनांक 31.03.2015 का अन्तशेष राशि रु 56,37,388 एवम रोकड़ बही का अन्तशेष रु 52,74,965 था अर्थात अंतर की राशि रु 3,62,423 थी | उसी प्रकार एन.यु.एल.एम. मद में दिनांक 31.03.2015 का आई0डी0वाई बैंक A/c No.10761040005613 अन्तशेष राशि रु 68,90,328 एवम रोकड़ बही का अन्तशेष रु 68,90,328 था अर्थात अंतर की राशि शून्य थी |बी.आर.जी.एफ. मद से सम्बंधित बैंक शेष प्रस्तुत विवरणी में दर्ज नहीं है |

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

भाग- II (क)

कंडिका संख्या-1 सोलर लाइट 330 अददका क्रय

सशक्त स्थायी समिति की विशेषबैठक 22.10.11 के प्रस्ताव सं0 2(X) में सीवान शहरी क्षेत्र में 100 अदद सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गयातत्पश्चात् दिनांक 30.11.11 को 80 अदद सोलर लाइट हेतु अल्पकालिन निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'आज' में दिनांक 07.12.11 को प्रकाशित की गयी। निविदा के आलोक में तीन निविदादाता ने निविदा डाली। नगर परिषद् द्वारा गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा 21.02.2012 को खोला गया। इसमें निम्नतमनिविदादाता मेसर्स विशाल इन्टरप्राइजेज, कंकडबाग, पटना, जिनका समझौता दरप्रति पीस ₹26684 था को चयनित किया गया। कार्यालय एवं विशाल इन्टरप्राइजेज के बीच 23.02.12 को एकरारनामा किया गया। फॉर्म द्वारा कुल 330 अदद सोलर लाइट की आपूर्ति व अधिष्ठापन आपूर्ति आदेश के आलोक में किया गया। विवरण नीचे है-

| क्रम सं | कार्यालय का आपूर्ति आदेश पत्रांक / दिनांक | अदद की संख्या |
|---------|---|---------------|
| 1 | 197 / 24.02.2012 | 70 |
| 2 | 250 / 13.03.2012 | 80 |
| 3 | 426 / 26.03.2012 | 120 |
| 4 | 448 / 29.03.2012 | 50 |
| 5 | 560 / 12.04.2012 | 10 |
| कुल | | 330 |

फॉर्म द्वारा कुल विपत्र कि राशि रु 8805720 समर्पित किया गया जिसमे से राशि रु 8270975का भुगतान करों के कटौती के उपरांत फॉर्म को किया गया। इसमे सुरक्षित जमा राशि भी सम्मिलित था। विवरण नीचे है-

| क्र सं | चेक सं० | तिथि | राशि | आयकर 2.36% | वैट 5% | सुरक्षित जमा 10% | अन्तिम भुगतान | अभिभ्रव सं० | लाइटों की सं० | अभियुक्ति |
|--------|---------|----------|---------|------------|--------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1. | 596502 | 03.03.12 | 1601040 | 37785 | 80050 | 160104 | 1323101 | 173 / 11-12 | 60 | 13वीं |
| 2. | 596508 | 24.03.12 | 2134720 | 50379 | 106736 | 213472 | 1764133 | 182 / 11-12 | 80 | 13वीं |
| 3. | 596511 | 10.04.12 | 4803120 | नहीं | 240156 | 480312 | 4082652 | .01 / 12-13 | 180 | 12वीं व 13वीं |
| 4. | 596554 | 28.07.12 | 266840 | 6297 | 13342 | 26684 | 220517 | 77 / 12-13 | 10 | न. प. |
| 5 | 596511 | 10.04.12 | | | | | 373576 | 01 / 12-13 | | सुरक्षित जमा राशि कि वापसी |
| 6 | 616173 | 11.04.13 | | | | | 506996 | 278 / 13-14 | | सुरक्षित जमा राशि कि वापसी |
| | | | 8805720 | 94461 | 440284 | 880572 | 8270975 | | 330 | |

21.2.2012 को कय समिति की बैठक में लगाये गये सभी सोलर लाइट के मेन्टेनेस के लिए आपूर्ति दर के 10 प्रतिशत पर आपूर्तिकर्ता को ही देने का निर्णय लिया। जिसके आलोक में विशाल इन्टरप्राइजेज के साथ प्रति सोलर लाइट ₹26684 पर 330 अदद सोलर लाइट का मेन्टेनेस करने का आदेश दिया गया। मेन्टेनेस की अवधि दो वर्षों सहित कुल 10 वर्षों के लिए की गयी। प्रारंभ में पांच वर्षों के लिए विपत्र की राशि रु 4402200 के विरुद्ध करों के कटौती का पश्चात रु 4108133 का भुगतान फॉर्म को किया गया था जिसमें सुरक्षित जमा राशि भी शामिल था। विवरणी इस प्रकार है-

| क्र सं० | चेक सं० | तिथि | राशि | आयकर 2.36 % | वैट 5% | सुरक्षित जमा 10% | अन्तिम भुगतान | अभिभ्रव सं० |
|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|------------------|---------------|-------------|
| 1. | 596571 | 12.09.12 | 2201100 | 51946 | 110055 | 176088(8 %) | 1863011 | 117 / 12-13 |
| 2. | 616118 | 28.12.12 | 2201100 | 22011 (1%) | 110055 | 220110 | 1848924 | 199 / 12-13 |
| 3 | 616347 | 07.09.13 | | | | | 396198 | 392 / 13-14 |
| | | | 4402200 | 73957 | 220110 | 396198 | 4108133 | |

अंकेक्षण आपत्ति-

(i) वित्तीय नियमावली का पालन नहीं-

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (I) के अनुसार ₹25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए **Limited tender Enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या **web based wide publicity** की जानी चाहिए तथा 131 (H) के तहत ₹25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में **Advertised tender enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत कम-से-कम राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक सामाचार पत्र एवं **Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata** में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। जबकि निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'आज' जो कम प्रचलित सामाचार पत्र है एवम् स्थानीय स्तर की है, में निकाली गयी। संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा का **web based wide publicity** नहीं की गयी। इससे यह साफ पता चलता है कि सोलर लाइट की खरीदारी में बिहार वित्त नियमावली का पालन किसी भी स्तर पर नहीं किया गया जिससे खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आज समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराया गया।

(ii) नगर परिषद् बोर्ड की अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रय / सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव से अधिक का क्रय-

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के उपनियम-छ के अनुसार नगर परिषद् के मामले में राशि ₹05 लाख से अधिक किन्तु ₹12 लाख से कम की निविदा के लिए सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति आवश्यक है एवं 12 लाख से उपर के लिए सामान्य बैठक की सहमति आवश्यक है। पुनः बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010

के धारा- 10 (5) के अनुसार समिति द्वारा पारित सभी विषय नगरपालिका की अगली बैठक में रखी जायेगी परन्तु रु 132.08 लाख के व्यय के पहले या बाद नगर परिषद् के सामान्य बैठक में सहमति नहीं लिया गया था।

सशक्त स्थायी समिति की 22.10.11 की बैठक में सिर्फ 100 सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कुल 330 सोलर लाइट की खरीदारी की गयी थी जो प्रस्ताव से अधिक था।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति द्वारा आपूर्ति आदेश के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था।

(iii) नियत अवधि के पूर्व रख रखाव कि राशि भुगतान होने से फॉर्म को अनुचित लाभ पहुंचाना-

कार्यालय द्वारा निकाले गये निविदा की शर्त सं० 8 में यह स्पष्ट लिखा है कि आपूर्ति किये जाने वाले सामान पर 2 वर्षों का मेन्टेनेस आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायगा साथ ही साथ विशाल इन्टरप्राइजेज द्वारा दिए गए अपने कोटेशन की कम सं० 4 में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कम्पनी द्वारा 2 वर्षों का मेन्टेनेस दिया जायगा। बावजूद इसके कार्यालय द्वारा सामान की प्राप्ति फरवरी 2012 को की गयी परन्तु मेन्टेनेस का आदेश एवं भुगतान सात महीने बाद ही सितम्बर 2012 में की गयी। मेन्टेनेस पर ₹4402200 (कर सहित) का भुगतान किया गया। मेन्टेनेस मार्च 2014 से किया जाना चाहिए था परन्तु सितम्बर 2012 में ही मेन्टेनेस के मद पर खर्च कर दिया गया। नगर परिषद् के जापांक 79 दिनांक 08.01.2014, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के बैठक दिनांक 22.10.2011 के प्रस्ताव के आलोक में क्रय कि गयी सोलर लाइट के रख रखाव कि जांच कार्यालय द्वारा 19.12.2013 को किया गया जिसमें पाया गया कि रख रखाव के अभाव में काफी संख्या में सोलर लाइट नहीं जल रहा था। यह अवधि अधिष्ठापन के दो वर्ष के भीतर का था जिसमें फॉर्म को निःशुल्क रख रखाव करना था, में यह आदेश

115
दिया गया कि सोलर लाइट के आपूर्ति / रख रखाव के भुगतान में सुरक्षित जमा राशि के रूप में कटौती की गयी राशि को जप्त किया जाता है ।

जात हो की रख रखाव की सुरक्षित जमा राशि रु 396198 का भुगतान फॉर्म को 07.09.2013 को ही कर दिया गया था तथा इस आदेश के बाद फॉर्म से इस राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया ।

निःशुल्क अवधि में ही काफी संख्या में सोलर लाइट बंद पड़े होने से स्पष्ट है कि नियत अवधि पूर्व ही पांच वर्ष का रख रखाव का सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर फॉर्म को रु 44.02 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा सरकारी राजस्व कि क्षति भी हुई । साथ ही इस अवधि के पूर्व ही सामग्री के विरुद्ध काटी गई सुरक्षित जमा राशि रु 880572 का भुगतान भी अनुचित लाभ था ।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया गया था ।

(iv) भण्डार पंजी, अधिष्ठापन स्थल, तकनीकी जांच प्रतिवेदन-

संचिका के अवलोकन से यह पता नहीं चल पाया कि खरीदे गये सभी सोलर लाइट का अधिष्ठापन कहाँ-कहाँ किया गया है। अतः भंडार पंजी एवम् कहाँ- कहाँ लगाए गए का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाय । पत्रांक सं० 968/23.7.12 द्वारा श्री मनोरंजन प्रसाद, तकनीशियन ब्रेडा जिला विकास शाखा,सीवान को लगाये गये सभी सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच करने का अनुरोध किया गया। पत्रांक 999 दिनांक 25.07.2012 द्वारा ब्रेडा निदेशक, पटना को भी गुणवत्ता जांच हेतु पत्र दिया गया था परन्तु यह अप्राप्त था । इसके बिना अंतिम भुगतान किया गया। सभी सोलर लाइट का गारंटी कार्ड एवं वर्तमान स्थिति से भी अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि अधिष्ठापन स्थल की सूची उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान स्थिति जांच कर आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ब्रेडा से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। नगर परिषद् सिवान के कनीय अभियंता का जांच प्रतिवेदन है। वित्तीय नियमावली एवम् बोर्ड का अनुपालन / अनुमोदन प्राप्त किये बिना क्रय अनियमित था। नियत अवधि के पूर्व रख-रखाव राशि का भुगतान अनियमित था। वर्तमान भौतिक स्थिति अब तक अप्राप्त है। अतः राशि रु 1,32,07,920 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या-2. 400 अदद सोलर लाईट की क्रय

नगर परिषद् के सामान्य बैठक दिनांक- 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 02 (II) के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाईट लगाने की स्वीकृति दी गई, कुल 38 वार्ड है। विज्ञापन हेतु पत्र 03. 11.2012 को जारी हुआ जिसमें अदद नहीं दिया गया था।

17.12.2012 को क्रय समिति की बैठक में सबसे न्यूनतम दर विशाल इंटरप्राइजेज, कंकड़बाग, पटना (एरीयन कम्पनी) का पाया गया, जिसका दर मो0 23000/- था से एकरारनामा दिनांक- 20.12.2012 को कर आपूर्ति आदेश दिया गया। एकरारनामा के शर्त 5 के अनुसार वारंटी अवधि 2 वर्ष छोड़कर 5 वर्ष के लिए रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर राशि देय होगा। तकनीकी बीड में 2 वर्ष का रख-रखाव शामिल था।

पत्रांक- 1887 दिनांक- 28.12.2012 द्वारा 200 अदद तथा पत्रांक- 1491 दिनांक- 24.07.2013 द्वारा 200 अदद की आपूर्ति आदेश दिया गया था। इन्हें मो0 92 लाख के विरुद्ध करों की कटौती कर राशि मो0 81,14,400/- का भुगतान किया गया, जिसमें सुरक्षित जमा राशि मो0 3,86,400/- शामिल था। भुगतान की विवरण नीचे है :-

| क्र0सं0 | विपत्र की राशि | आयकर राशि | वैट राशि | सुरक्षित जमा राशि | फर्म को भुगतान राशि | चेक सं0 | दिनांक | अभिश्चव की संख्या | लाईट की सं0 | मद/अभ्युक्ति |
|---------|----------------|-----------|----------|-------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 4600000 | 46000 | 230000 | 460000 | 3864000 | 616173 | 11.04.13 | 277/ 13-14 | 200 | चतुर्थ वित्त |
| 2 | 4600000 | 46000 | 230000 | 460000 | 3864000 | 616347 | 07.09.13 | 393/ 13-14 | 200 | नगर निधि |
| 3 | 4600000 | 4600 | 23000 | 46000 | 386400 | 616347 | 07.09.13 | 393/ 13-14 | | सुरक्षित जमा की वापसी |
| कुल | 9660000 | 96600 | 483000 | 966000 | 8114400 | | | | 400 | |

अधिष्ठापन के 2 वर्ष छोड़कर अगले 5 वर्ष के रख-रखाव की राशि मो0 46 लाख के विरुद्ध करें एवं 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा की कटौती कर राशि मो0 39.79 लाख का भुगतान किया गया था। विवरण नीचे है :-

| क्र0सं0 | विपत्र की राशि | आयकर राशि | वैट राशि | सुरक्षित जमा राशि | फर्म को भुगतान राशि | चेक सं0 | दिनांक | अभिभव की संख्या | लाईट की सं0 | मद/अभ्युक्ति |
|---------|----------------|-----------|----------|-------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | 2300000 | 23000 | - | 230000 | 2047000 | 616323 | 22.07.13 | 343/ 13-14 | 200 | |
| 2 | 2300000 | 23000 | 115000 | 230000 | 1932000 | 616347 | 07.09.13 | 393/ 13-14 | 200 | नगर निधि |
| कुल | 4600000 | 46000 | 115000 | 460000 | 3979000 | | | | 400 | |

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. **वित्तीय नियमावली का पालन नहीं-** बोर्ड की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाईट क्रय का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार कुल 380 सोलर लाईट की आवश्यकता थी। क्रय भी 400 अदद का किया गया। निविदा प्रकाशन में अदद की संख्या नहीं दिया गया था। बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (1) के अनुसार मो0 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए **Limited tender Enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसके तहत जिस सामान की आव यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सम्पर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या **web based wide publicity** की जानी चाहिए तथा 131 (H) के तहत मो0 25 लाख के उपर के सामानों की खरीदारी में **Advertised tender Enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत कम से कम राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक सामाचार पत्र एवं **Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata** में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला की ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में 13.11.2012 को प्रकाशित हुआ। संचिका के अवलोकन से पता चला कि निविदा का **web based wide publicity** नहीं की गई। इससे यह साफ पता चलता है कि सोलर लाईट की खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में क्रय करते समय वेव बेस्ड पब्लिसिटी किया जाएगा ।

2. अधिष्ठापन के 2 वर्ष बीतने के पूर्व ही रख-रखाव शुल्क 5 वर्ष का तथा आपूर्ति के अन्तर्गत सुरक्षित जमा राशि की वापसी कर फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाना मो0 45.26 लाख -

वित्त विभाग के संकल्प सं0 9370/वि0(2) दिनांक- 05.09.2012 द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय के लिए ब्रेडा को राज्य क्रय संगठन नामित किया गया। ब्रेडा, पटना के पत्रांक- 1510 दिनांक- 27.09.2013 के अनुसार सोलर लाईट अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश के बाद अधिष्ठापित कर दिए जाने पर आपूर्तिकर्ता की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखी जाएगी जो 02 वर्ष बाद गारंटी अवधि पूरी करने के बाद दी जाएगी। फर्म द्वारा तकनीकी बीड में रख-रखाव 24 माह तक किया जाएगा (शर्त सं0 04) लिखा हुआ था। अधिष्ठापन की तिथि संचिका से ज्ञात नहीं था। प्रथम विपत्र 05.04.2013 को दिया गया था। अर्थात् 04.04.2015 तक फर्म को निशुल्क रख-रखाव करना था। इसके पश्चात् सुरक्षित जमा राशि की वापसी करनी थी। परन्तु, सुरक्षित जमा राशि मो0 3,86,400/- दिनांक- 07.09.2013 को वापस कर दिया गया था।

पुनः रख-रखाव की राशि 41,40,000/- का भुगतान करों की कटौती सहित 24.07.2013 व 07.09.2013 को कर दिया गया था। जबकि इसका भुगतान 04.04.2015 के पश्चात करना चाहिए था। एकरारनामा के शर्त सं0 03 के अनुसार कोई खराबी होने पर उन्हें तत्काल बदलना होगा अन्यथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यालय के पत्रांक- 2074 दिनांक- 29.10.2013, 2343 दिनांक- 29.11.2013, 2453 दिनांक- 12.12.2013, 170 दिनांक- 20.01.2014, 362 दिनांक- 05.02.2014 द्वारा फर्म को कहा गया था कि अधिकांशतः सोलर लाईट बन्द पड़े है, से स्पष्ट है कि इसका रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, फर्म को राशि मो0 45,26,400/- का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि नगर सभापति से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया गया था | जवाब मान्य नहीं है।

3. भण्डार पंजी, अधिष्ठापनस्थल की सूची, तकनीकी जाँच प्रतिवेदन - 400 अदद सोलर लाईट के क्रय से संबंधित भंडार पंजी, अधिष्ठापन स्थल की सूची, तकनीकी, गारंटी/वारंटी कार्ड कर्मी से तकनीकी जाँच प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किया गया। साथ ही लाईट की वर्तमान स्थिति से भी अवगत नहीं कराया गया। कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि वर्तमान स्थिति जांच कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

4. **वैट की नहीं कटौती :-** रख-रखाव मद में दिनांक- 22.07.2013 को भुगतान करते समय बिल से वैट की राशि मो0 1,15,000/- की कटौती नहीं किया गया था। इस प्रकार फर्म को राशि मो0 1,15,000/- का अधिक भुगतान किया गया। कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि फॉर्म को नोटिस किया जाएगा। वित्तीय नियमावली का अनुपालन किये बिना क्रय अनियमित था। नियत अवधि के पूर्व रख-रखाव राशि का भुगतान अनियमित था। वर्तमान भौतिक स्थिति अब तक अप्राप्त है। अतः राशि रु 1,15,000 फॉर्म से वसूलनीय है

कंडिका संख्या- 3. Unfruitful Expenditure on Dynamic CMS Website with Web Application-36.82 Lakh

नगर परिषद्, सीवान की साधारण बैठक दिनांक- 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 2 (IX) में निर्णय लिया गया था कि आई0टी0 मद में प्राप्त राशि को बिहार वित्तीय नियमावली के तहत लिमिटेड टेंडर कर निविदा आमंत्रित कर कार्रवाई की जाय।

तदनुसार चार फर्म को Dynamic CMS Website with Web Application Proposal के लिए दिनांक- 19.09.2012 को पत्रांक- 1351 द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के अनुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को सूचना दी गई थी इसमें Brief Scope of work था :-

- (1) Public Pages – Public use के लिए।
- (2) Admin Pages – Internal users जिसमें 4 Module था। वे इस प्रकार थे :-
 - (i) Staff Management System
 - (ii) Salary Management System
 - (iii) MIS Reports Generation up to 10 reports
 - (iv) Content Management and users access related features

चार फर्म द्वारा तकनीकी व वित्तीय निविदा डाला गया। जिसे कार्यपालक पदाधिकारी तथा नगर सभापति के समक्ष 27.09.2012 को खोला गया जिसमें न्यूनतम वित्तीय दर “R.V Solutions

(P) Ltd., Noida (U.P.) का था, को दिनांक- 05.10.2012 को कार्यादेश निर्गत किया गया था। एकरारनामा दिनांक- 05.10.2012 को किया गया। दर मो0- 6,85,000+सेवा कर था। रख-रखाव शुल्क छः माह तक निःशुल्क था। इसके पश्चात प्रति वर्ष मो0 1,71,600+कर आदि था, जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि था।

इसके पश्चात् निम्न Module का अतिरिक्त आदेश निर्गत किया गया।

| क्र0 सं0 | पत्रांक/दिनांक | Module का नाम | दर | रख-रखाव शुल्क |
|----------|--------------------------|--|-------------|---------------|
| 1 | 1568B दिनांक- 25.10.2012 | Fund Management | 2,90,000+कर | 72,500+कर |
| 2 | 1768 दिनांक- 30.11.2012 | Event Management System including SMS facilities | 3,10,000+कर | 77,500+कर |
| 3 | 221 दिनांक- 31.01.2013 | Sanitation & Mobile Tower Management | 5,85,000+कर | 1,46,250+कर |
| 4 | 1044 दिनांक- 13.05.2013 | Adding some new pages relating ward parshad | 1,25,000+कर | |

फर्म को बिल की राशि मो0 36,82,215 के विरुद्ध Module सहित रख-रखाव की राशि मो0 35,98,532 का भुगतान किया गया। विवरणी नीचे है:-

| क्र0 सं0 | बिल की राशि | बिल की तिथि | आयकर कटौती | सुरक्षित जमा राशि की कटौती | फर्म को भुगतेय राशि | विवरण | चेक सं0 | तिथि | मद |
|----------|-------------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------|--|---------|----------|-----------------------|
| 1 | 1,92,417 | 19.10.12 | 1,924 | 19,242 | 1,71,251 | Module की राशि | 596599 | 10.11.12 | 12 th F.C. |
| 2 | 7,40,171 | 22.11.12 से 15.12.12 | 7,402 | 74,017 | 6,58,752 | Module की राशि | 616136 | 1.02.13 | 4 th SFC |
| 3 | 7,04,048 | 05.02.13 से 03.04.13 | 7,040 | 70,405 | 6,26,603 | Module की राशि व AMC Dynamic CMS web site with web application | 616324 | 22.07.13 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|-------------------|----------|-----------|---|--------|----------|------------------------|
| 4 | 8,79,217 | 01.08.13 से 22.08.13 | 8,792 | 87,922 | 7,82,503 | Module की राशि व Fund management की AMC | 616343 | 29.08.13 | 4 th SFC |
| 5 | 2,51,406 | 18.09.13. से 08.11.13 | 2,515/ 12,570 | 25,141 | 2,11,180 | AMC | 616503 | 12.02.14 | NP Func |
| 6 | 2,51,586 | | | | 2,51,586 | सुरक्षित जमा राशि, उपरोक्त क्र० सं० 01 से 04 | 616504 | 13.02.14 | NP Func |
| 7 | 9,14,956 | 26.06.14 से 01.07.15 | 18,299 | — | 8,96,657 | AMC | 189848 | 12.08.15 | NP Func |
| कुल | 39,33,801 | | 45,972/ 12,570 | 2,76,727 | 35,98,532 | | | | |

वास्तविक बिल की राशि रू० 36,82,215 था।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

1. **क्रय समिति :-** क्रय समिति में कोई तकनीकी कर्मी विशेष कर कम्प्यूटर में दक्ष व्यक्ति नहीं थे। इसके साथ-साथ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य कर पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता नहीं थे। जबकि 27.09.12 के पश्चात 17.12.12 को सोलर लाईट के क्रय की निविदा में उपरोक्त सभी पदाधिकारी थें। 27.09.12 को निविदा खोलते समय मात्र कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर सभापति ही थे। उपरोक्त पदाधिकारी को निविदा खोलते समय आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में आपत्ति किये जाने पर कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
2. **तकनीकी निविदा में असफल :-** तकनीकी निविदा के शर्त (a) में यह वर्णित था कि फर्म को कम से कम 03 तीन वर्षों का इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। शर्त (b) में Blacklisted /Debarred नहीं का प्रमाण-पत्र देना था। परन्तु किसी भी फर्म द्वारा शर्त (b) के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था। शर्त (a) के संबंध में कोई भी प्रमाण चयनित फर्म का संलग्न नहीं था। सिर्फ 21.08.11 को निबंधन का प्रमाण था। इस प्रकार, चयनित फर्म तकनीकी निविदा में ही असफल थें। फिर भी इन्हें कार्यादेश दिया गया। कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।
3. **आवंटनादेश :-** IT मद में सरकार से प्राप्त आवंटनादेश को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

4. Module का कार्य :- निर्मित 8 Module में से किससे क्या-क्या कार्य लिया जा रहा था? इसकी मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर परिषद में कोई भी कम्प्यूटर के तकनीकी कर्मी नहीं होने से इनका परिचालन किस प्रकार होता है? स्पष्ट नहीं किया गया। तकनीकी कर्मी के अभाव से स्पष्ट है कि इस पर व्यय निष्फल था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि Event Management System including SMS facilities का उपयोग किया जा रहा है।

5. आयकर की कम कटौती :- फर्म के विपत्र से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करना था। परंतु राशि मो0 73,644 के विरुद्ध मात्र मो0 45,972 की कटौती किया गया था। इस प्रकार मो0 27,672 की कम कटौती किया गया था।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि फॉर्म को नोटिस किया जायेगा।

आठ मोड्यूल में से सात मोड्यूल के अधिष्ठापन से कार्यशील नहीं रहने से स्पष्ट है कि राशि रु 36,82,215 का व्यय निरर्थक हुआ। इसके उपयोग करने तक राशि रु 36,82,215 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या- 4 Unfruitful Expenditure on File Tracking & Management System Software-Rs.13.64 Lakh

नगर परिषद, सीवान की साधारण बैठक दिनांक- 10.09.2012 के प्रस्ताव सं0 2 (IX) में निर्णय लिया गया था कि आई0टी0 मद में प्राप्त राशि को बिहार वित्तीय नियमावली के तहत लिमिटेड टेंडर कर निविदा आमंत्रित कर कार्रवाई की जाय।

तदनुसार चार फर्म को File Tracking & Management System Software Proposal के लिए दिनांक- 05.08.2013 को बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (I) के अनुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता कसे प्रति दिया गया था। इस Software का मुख्य उद्देश्य निम्न था :-

(1) The DAK can be registered digitally including the upload of scanned copy of DAK

(2) The DAK is then associated to a new or an existing file

(3) The movement of the file is then tracked to closure.

DAK/ Receipt management